



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष/फैक्स नं० 05964-225115

E-mail - pdpwpdpth@rediffmail.com

पत्रांक 3128 / 22 याता०

दिनांक 25/10/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग

पिथौरागढ़

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य के वन भूमि हेतु 0.945 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हेतु 0.945 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपोजेस (FP/UK/ROAD/144679/2021)

सन्दर्भ:-


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२३/२०२१/एफ०सी०/१४४६, दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है, साथ ही सम्बन्धित आपत्तियों के अभिलेख आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित -

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	On the perusal of the KML file, it is observed that the proposed road can start from the existing Encholi-Badabe Motor road can end at village "Khainalgao" thus providing connectivity to village shown in KML. In this way, the forest area being proposed up to the existing road of Mard-Marsholi Motor road would not be required and unnecessary felling of trees shall be avoided. Hence, the state Govt. is requested to submit its comments in this regard.	<ol style="list-style-type: none"> मार्ग की स्वीकृति माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार नाम से 5.00 किमी० हेतु प्राप्त है। उक्त में माड़ मर्सोली मार्ग की ल० 2.00 किमी० पूर्व से निर्मित हैं। जिसकी विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं० 530(1)-4-15/1(83)/2015, दिनांक 28.12.2015 द्वारा 0.81 हे० प्राप्त है। जिसमें आगे की ओर संगट्टा तक ल० 5.00 किमी० के लिए प्रस्ताव गठित किये गये हैं। प्रस्ताव में जिस समरेखण को लिया गया है, उसमें न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति के अनुरूप की गठित किया गया है।
2.	The muck disposal plan is proposed over forest land however lot of private land is seen around the proposed area. Therefore, the State Govt. is requested to submit its clear justification for not selecting the non-forest land for muck dumping. The justification shall be duly authenticated by concerned DFO and a detailed Muck Disposal Plan shall also be submitted.	A report regarding muck disposal plan proposed over forest land authenticated by DFO has been uploaded in Form A, Part-I.
3.	NPV is calculated at older rates. State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rate.	New NPV calculation sheet has been uploaded in Form A, Part I.
4.	State Govt. is requested to submit the plantation scheme for 1900 plants by way of CA along with the details, map and site suitability certificate of the site selected for planting the trees.	New plantation scheme for 1900 plants has been uploaded in Form A, Part I.

भवदीय



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

प्रारूप

परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव संख्या—	FP/UK/ROAD/144679/2021
परियोजना का नाम एवं जनपद	— जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।
परियोजना का क्षेत्र(हे०)	— 0.945हे०
मलवा निस्तारण हेतु क्षेत्र	— 0.1014हे०
प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम एवं पता	— प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० पिथौरागढ़
वन प्रभाग का नाम	— वन प्रभाग, पिथौरागढ़

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि सिविल सोयम मार्ग की कुल अधिकृत चौड़ाई (09मी०) में ही ली गई है, तथा मार्ग में प्रभावित होने वाली अन्य नाप भूमि ग्रामवासियों व काश्तकारों की नाप भूमि है, जिसे मलवा निस्तारण हेतु देने में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है। जिस कारण मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि मार्ग की चौ० में ही 03 मी० के अंतर्गत ली गई है।

अतः चयनित क्षेत्र ही मलवा निस्तारण हेतु सर्वथा उपयुक्त है, जो कि वृक्षविहीन क्षेत्र भी हैं।


अधिसूची अधिनियम
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़